रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003—05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 3, 2004—जनवरी 9, 2004 (पौष 13, 1925)

No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 3, 2004—JANUARY 9, 2004 (PAUSA 13, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 दिसम्बर 2003

सं. डीपी/पर्स.1/2003/5086/3/43/2002--राष्ट्रपति ने श्री यू. एस. मिश्रा, भा. पु. सेवा (उड़ीसा : 1968) को 6 दिसम्बर, 2003 अपराह्न से दो वर्ष की अवधि के लिए निदेशक, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) के रूप में नियुक्त किया है।

यह नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका सं. एसएलपी (सी) 19107/2001 के परिणाम के अध्यधीन है।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

सं. डीपी/पर्स.1/2003/5102/3/61/95--श्री के. एन. तिवारी ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 30.11.2003 अपराह्न से पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

सं. डीपी/पर्स.1/2003/5154/3/51/2003-प्रशा.-5--निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने श्री वासदेव शर्मा, अपराध सहायक, के. अ. ब्यूरो को 8 दिसम्बर, 2003 पूर्वाह्न से कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के ग्रेड में नियुक्त किया है।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

दिनांक 17 दिसम्बर 2003

सं. डीपी/पर्स.1/2003/5178/3/43/97--श्री पी. सी. शर्मा, भा. पु. सेवा (ए. एम. : 1966) ने अधिवर्षिता पर और निदेशक, दिविपुस्था. (के. अ. ब्यूरो) के रूप में कार्यअवधि पूरी कर लेने पर 6 दिसम्बर, 2003 अपराह्न से निदेशक, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) के पद का कार्यभार त्याग दिया।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 दिसम्बर 2003

सं. डीपी/कार्मिक-2/2003/4139/ए-34012/9/2000--श्री कृष्ण गोपाल, वैयक्तिक सहायक ने 19.11.2003 अपराह्न से पदोन्नति पर निजी सचिव, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद पर कार्य ग्रहण कर लिया है।

पंकज सक्सेना
पुलिस अधीक्षक (कार्मिक)

सं. डीपी/कार्मिक-2/2003/4140/ए-34012/9/2000--श्री पी. सी. पाल, वैयक्तिक सहायक ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31.10.2003 अपराह्न से निजी सचिव, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया।

पंकज सक्सेना
पुलिस अधीक्षक (कार्मिक)

सं. डीपी/कार्मिक-2/2003/4141/ए-34012/9/2000--श्री आर. एन. लाथरा, वैयक्तिक सहायक ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31.10.2003 अपराह्न से निजी सचिव, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया।

पंकज सक्सेना
पुलिस अधीक्षक (कार्मिक)

कार्मिक, लोक-शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
(लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी)

मसूरी, दिनांक 16 दिसम्बर 2003

सं. 2/2/2000/स्थापना--श्री जगन्नाथ गेरा, अधीक्षक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी ने दिनांक 5.12.2003 अपराह्न से सहायक प्रशासन अधिकारी के पद पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

रजनी एस. सिबल
उप निदेशक (वरिष्ठ)

गृह मंत्रालय
महानिदेशालय, के. रि. पु. बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 04 दिसम्बर 2003

सं. ओ.दो. 3252/98-कार्मिक-1--सरकारी सेवा से त्यागपत्र देने संबंधी नोटिस दिनांक 01.07.2003 स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री ए.आर. लकरा, उप कमाण्डेन्ट, (आई आर एल ए-3558), 139 बटालियन, केरिपुबल ने दिनांक 31.10.2003 (अपराह्न) से अपना पदभार त्याग दिया है। तद्नुसार उक्त अधिकारी को दिनांक 31.10.2003 (अपराह्न) से बल की नफरी से निकाला जाता है।

जे. एन. शर्मा
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक कार्मिक-1

दिनांक 08 दिसम्बर 2003

सं. ओ-दो-610/69-कार्मिक-1--कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, पूर्वोत्तर सेक्टर, के.रि.पु.बल, शिलांग के श्री एच. एस. नेगी, अ.पु.उ.म.नि. (आई आर एल ए-623), जिनकी लम्बी बीमारी के कारण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में दिनांक 18.11.2003 को 0830 बजे मृत्यु हो गई है, को भारत सरकार खेद के साथ अधिसूचित करती है। तद्नुसार, उन्हें दिनांक 19.11.2003 (पूर्वाह्न) से इस संगठन की नफरी से निकाला जाता है।

जे. एन. शर्मा
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

सं. ओ.दो. 791/70-सी.आर.सी.-एम.ओ.--डा. एस.आर. दास, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, (एन.एफ.एस.जी.) (आई आर एल ए-760) बेस अस्पताल-3, के.रि.पु.बल, गुवाहाटी ने सेवा निवृत्त होने पर दिनांक 31.10.2003 (अपराह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तद्नुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 31.10.2003 (अपराह्न) से निकाला जाता है।

जे. एन. शर्मा
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

सं. ओ.दो. 895/73-सी.आर.सी.-एम.ओ.--डा. एस.के. साहू, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, (एन.एफ.एस.जी.) (आई आर एल ए-1173) ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु.बल, भुवनेश्वर ने सेवा निवृत्त होने पर दिनांक 31.10.2003 (अपराह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तद्नुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 31.10.2003 (अपराह्न) से निकाला जाता है।

जे. एन. शर्मा
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

दिनांक 12 दिसम्बर 2003

सं. ओ.दो. 2962/पीएफ-कार्मिक-I--सरकारी सेवा से त्यागपत्र देने संबंधी नोटिस दिनांक 29.07.2003 स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री गुलाब सिंह यादव उप कमाण्डेन्ट (ईरला नं. 2962), ग्रुप केन्द्र 2, केरिपु बल, अजमेर ने दिनांक 01.12.2003 (पूर्वाह्न) से अपना पदभार त्याग दिया है तदनुसार उक्त अधिकारी को दिनांक 01.12.2003 (पूर्वाह्न) से बल की नफरी से निकाला जाता है।

जे. एन. शर्मा
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-I)

दिनांक 13 दिसम्बर 2003

सं. ओ.दो. 3638/03-सी.आर.सी.-एम.ओ.--राष्ट्रपति जी, डॉ. अशोक कुमार शर्मा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश जारी होने तक के.रि.पु. बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 19.11.2003 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें ग्रुप केन्द्र, केरिपु बल, नीमच में तैनात किया जाता है।

जे. एन. शर्मा
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-I)

सं. ओ.दो. 3639/03-सी.आर.सी.-एम.ओ.--राष्ट्रपति जी, डॉ. हीरा राजा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश जारी होने तक के.रि.पु. बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 24.11.2003 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें 47 बटा., केरिपु बल, में तैनात किया जाता है।

जे. एन. शर्मा
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-I)

महानिदेशालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 दिसम्बर 2003

सं. ई-16015(2)/2/2003/कार्मिक.I/40--राष्ट्रपति, श्री एस. आर. दहिया, उप कमांडेन्ट, को पदोन्नति पर केऔसुब में कमांडेन्ट के पद पर 12,000-375-16,500/- रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं। वे केऔसुब इकाई, डीएचईपी दुलहस्ती (जे एण्ड के) में तैनात हैं, जहां उन्होंने दिनांक 29 नवम्बर 2003 के पूर्वाह्न से कमांडेन्ट के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक केऔसुब

दिनांक 17 दिसम्बर 2003

सं. ई 31013(3)/5/2002/कार्मिक II/707--राष्ट्रपति, श्री एच.पी.एस. राठौर, सहायक कमांडेन्ट (कार्य) को पदोन्नति पर 28 नवम्बर 2002 के पूर्वाह्न से 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में केऔसुब में नियमित आधार पर सैद्धान्तिक रूप से उप कमांडेन्ट के रैंक में नियुक्त करते हैं। वरिष्ठ काल-मान प्रदान किए जाने के परिणामस्वरूप वे पहले ही 04 अप्रैल 2001 से उप कमांडेन्ट का वेतनमान ले रहे हैं।

2. उन्होंने दिनांक 28 नवम्बर, 2003 के पूर्वाह्न से उप कमांडेन्ट, केऔसुब इकाई, एच.पी.सी.एल.-बी.पी. विशाखापटनम के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक केऔसुब

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 16 दिसम्बर 2003

सं. डब्ल्यू.एम.I/स्थापना/181--महालेखाकार (लेखा एवं हक) पश्चिम बंगाल के आदेश के तहत निम्नलिखित प्रभागीय लेखा अधिकारी-I को इस आदेश के द्वारा वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में वेतनमान रुपए 7,500-250-12,000/- में अस्थायी तथा स्थानापन्न क्षमता में वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक के प्रभाव से वर्तमान डिविजन/प्रत्येक के नाम के समक्ष लिखित डिविजन में अगले आदेश तक के लिए प्रोन्नति दी गई। वे प्रोन्नति के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा में रहेंगे।

यह प्रोन्नति लोकहित में दिया गया।

1. श्री अरधेन्दु कुमार चट्टोपाध्याय

उपरोक्त अधिकारी प्रोन्नत होने पर अपने वेतन निर्धारण हेतु वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से एक महीना के अन्दर एफ.आर.22ए के तहत अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

पी. के. दास
उप महालेखाकार (लेखा)

लघु उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसम्बर 2003

सं. ए-19018/1387/95-प्रशा. (राज.)--सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री आर. पुरूषोथमन, सहायक निदेशक (ग्रेड-I)

(यांत्रिकी) लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत लघु उद्योग सेवा संस्थान, चेन्नई से दिनांक 30.11.2003 अपराह्न) को सेवा निवृत्त हो गए हैं।

एस. वि. एन. पिल्लै
उप निदेशक (प्रशा.)

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
(महासर्वेक्षक का कार्यालय)

देहरादून-248001, दिनांक 15 दिसम्बर 2003

सं. सी-334/724-एस.ओ.एस.(ए)(1)--निम्नलिखित ग्रुप 'सी' भण्डार सहायक को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में सहायक भण्डार अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'बी') के पद पर रुपये 5,500-175-9,000/- के वेतनमान में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है :-

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री के. अब्राहम	18.11.2003

डॉ. पृथ्वीश नाग
भारत के महासर्वेक्षक

सं. सी-342/594--निम्नलिखित सीनियर रिप्रोग्राफर को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई तिथि से नियमित आधार पर सहायक प्रबन्धक (मानचित्र पुनरूत्पादन) (सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के पद पर रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में पदोन्नत किया जाता है :--

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री के. नरसिम्हा	03.11.2003

डॉ. पृथ्वीश नाग
भारत के महासर्वेक्षक

परमाणु ऊर्जा विभाग
(विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड)

नवी मुंबई-400705, दिनांक 13 दिसम्बर 2003

सं. ब्रिट/9/26/657--महामहिम राष्ट्रपतिजी, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड में श्री राजेश कुमार को दिनांक 1 सितम्बर 2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक रुपए 8,000-275-13,500 के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/सी के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

ओ. भारतन
प्रशासन अधिकारी-III

प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर-452013, दिनांक 16 दिसम्बर 2003

सं. केट/प्रशासन/भ.-807(2)-1363--निदेशक, प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर ने श्री परिवेश जिनवाल, स्टेनो ग्रेड-II को इस केन्द्र में वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में सहायक कार्मिक अधिकारी के अवकाश रिक्त पद पर तदर्थ आधार पर दिनांक 22.09.2003 (पूर्वाह्न) से 24.10.2003 (अपराह्न) तक नियुक्त किया है।

जे. एम. पारीक
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

अन्तरिक्ष विभाग
(विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र)

तिरुवनन्तपुरम-695022, दिनांक 24 नवम्बर 2003

सं. वीएसएससी/स्था./एफ/1(17)--नियंत्रक, विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र (वीएसएससी) एतद्द्वारा निम्न वैयक्तिक सहायक-क को वैयक्तिक सहायक-ग के रूप में रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में पदोन्नति पर विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र में उनके नाम के आगे दी हुई तारीख से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	प्रभाग	से
1	2	3	4
	श्री/श्रीमती		
01.	बी. ए. अम्बिका	आई आई एस यू	01.05.2003
02.	एस. पी. सुकुमारन	पी एस सी डी	18.08.2003
03.	के. श्रीकुमारन	पी एफ सी	18.08.2003
04.	डी. उषाकुमारी	निदेशक	18.08.2003
05.	बी. लक्ष्मी	पी सी एम	18.08.2003
06.	पी. वासुदेवन नंबूतिरी	निदेशक	18.08.2003
07.	एम. टी. शारदा	लेखा	18.08.2003
08	पी. आर. कृष्णमूर्ति	आई आई एस यू	18.08.2003
09.	के. तुलसीधरन	आई सी एफ	18.08.2003
10.	सी. के. शान्तम्मा	आर पी एफ एफ	18.08.2003
11.	अन्नम्मा वर्गीस	लेखा	18.08.2003
12.	एन. कोच्चुकुट्टन	नियंत्रक	18.08.2003
13.	ए. मीनाक्षी	पी पी ई जी	18.08.2003
14.	सूसियाम्मा जोनसन	क्यू डी सी	18.08.2003
15.	पी. कृष्णन उण्णित्तान	निदेशक	18.08.2003
16.	चेच्चम्मा जोर्ज	पी आर ए सी सी	19.08.2003
17.	के. सी. वसन्तकोकिलम	इ एस जी	18.08.2003

1	2	3	4
18.	मृणीलकुमार यागे	जी एस एस वी एम के-III	18.08.2003
19.	एम. जयकुमार	एस पी एल	18.08.2003
20.	के. तंकमणी	एम वी आई टी	18.08.2003
21.	जे. वेलायुधन	ई एफ ए	18.08.2003
22.	ई. के. गोपालकृष्णन	सी डी डो	18.08.2003
23.	एन. वसंता	पी आर जी	25.08.2003
24.	के. वी. जोसफ	ए पी ई पी	18.08.2003
25.	एस. शान्ता	ए पी एम डी	18.08.2003
26.	के. ए. विश्वनाथन नायर	सी एम एस	18.08.2003
27.	टी. सी. अब्राहम	डी एल एस	18.08.2003
28.	टी. आर. केशवन	पी एस डी	18.08.2003
29.	सी. जी. सुभाकर राव	एस क्यू ए डी	18.08.2003
30.	ज्योती राजीव	जी एस एल वी	18.08.2003
31.	सी. चन्द्रिका	एस एम ए एफ	18.08.2003
32.	एस. रमा देवी	स्थापना	18.08.2003

एन. गोपीनाथन
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स संचिता शेयर्स सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में ।

कानपुर-1, दिनांक 16 दिसम्बर 2003

सं. एल.सी./560(3)/25605--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स संचिता शेयर्स सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अग्रवाल ऑटो इलेक्ट्रिकल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 16 दिसम्बर 2003

सं. एल.सी./560(3)/22624--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स अग्रवाल ऑटो इलेक्ट्रिकल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पालीस्टिक इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 16 दिसम्बर 2003

सं. एल.सी./560(3)/5086--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स पालीस्टिक इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लक्ष्मण ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 16 दिसम्बर 2003

सं. एल.सी./560(3)/6260--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स लक्ष्मण ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ट्रेन्ड फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 16 दिसम्बर 2003

सं. एल.सी./560(3)/10145--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स ट्रेन्ड फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जनमन्जय फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 16 दिसम्बर 2003

सं. एल.सी./560(3)/6285--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स जनमन्जय फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स के. पी. जे. कमप्यूड प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 16 दिसम्बर 2003

सं. एल.सी./560(3)/20459--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स के. पी. जे. कमप्यूड प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स किशोर उद्योग (प्राईवेट) लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 16 दिसम्बर 2003

सं. एल.सी. 560(3)4203--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स किशोर उद्योग (प्राईवेट) लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अबू प्लाजा केयर टेकर्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 16 दिसम्बर 2003

सं. एल.सी./560(3)/25469--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स अबू प्लाजा केयर टेकर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री जानकी एग्रो ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 16 दिसम्बर 2003

सं. एल.सी./560(3)/9136--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स श्री जानकी एग्रो ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आरवो मशीन प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 16 दिसम्बर 2003

सं. एल.सी./560(3)/13362--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स आरवो मशीन प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लाजवन्ती इन्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 16 दिसम्बर 2003

सं. एल.सी./560(3)/5558--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स लाजवन्ती इन्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कानपुर मोटर कम्पनी लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 16 दिसम्बर 2003

सं. एल.सी./560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स कानपुर मोटर कम्पनी लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ब्रिजमोहन कन्सल्टेन्सी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 16 दिसम्बर 2003

सं. एल.सी./560(3)/22336--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स ब्रिजमोहन कन्सल्टेन्सी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एल. एम. एल. अथराइज रिप्रेजेन्टेटिव्स एसोसिएशन लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 16 दिसम्बर 2003

सं. एल.सी./560(3)7004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स एल. एम. एल. अथराइज रिप्रेजेन्टेटिव्स एसोसिएशन लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 11th December 2003

No. DP/Pers. I/2003/5086/3/43/2002.—The President is pleased to appoint Shri U.S. Misra, IPS (OR:1968) as Director, Delhi Special Police Establishment (Central Bureau of Investigation) with effect from the afternoon of December 6, 2003 for a period of two years.

The appointment will be subject to the outcome of the Special Leave Petition No. SLP(C) 19107/2001 in the Supreme Court.

S.D. BAIJAL
Administrative Officer (Pers.)

No. DP/Pers.I/2003/5102/3/61/95.—Shri K. N. Tiwari relinquished charge of the post of Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 30.11.2003 on attaining the age of superannuation.

S. D. BAIJAL
Administrative Officer (Pers.)

The 15th December 2003

No. DP/Pers.I/2003/5154/3/51/2003.—Director, Central Bureau of Investigation is pleased to appoint Shri Vasdev Sharma, Crime Assistant, CBI in the grade of Office Superintendent, Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of December 8, 2003.

S. D. BAIJAL
Administrative Officer (Pers.)

The 17th December 2003

No. DP/Pers.I/2003/5178/3/43/97.—Shri P. C. Sharma, IPS (AM:1966) relinquished charge of the post of Director, Delhi Special Police Establishment (Central Bureau of Investigation) with effect from the afternoon of December 6, 2003 on superannuation and completion of tenure as Director, DSPE (CBI).

S. D. BAIJAL
Administrative Officer (Pers.)

New Delhi-110003, the 18th December 2003

No. DP/Pers.II/2003/4139/A-34012/9/2000.—Shri Krishan Gopal, Personal Assistant on his promotion, has taken over the charge of the post of Private Secretary, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 19.11.2003.

PANKAJ SAXENA
Superintendent of Police (Pers.)

No. DP/Pers.II/2003/4140/A-34012/9/2000.—Shri P. C. [illegible] relinquished the charge of the post of Private Secretary, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 31.10.2003 on attaining the age of superannuation.

PANKAJ SAXENA
Superintendent of Police (Pers.)

No. DP/Pers.II/2003/4141/A-34012/9/2000.—Shri R. N. [illegible] relinquished the charge of the post of Private Secretary, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 31.10.2003 on attaining the age of superannuation.

PANKAJ SAXENA
Superintendent of Police (Pers.)

MINISTRY OF PERSONNEL, PG & PENSION
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)
(LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL ACADEMY OF ADMINISTRATION)

Mussoorie-248179, the 15th December 2003

No. 2/2/2000-EST.—Shri Jagan Nath Gera, Superintendent in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie has assumed charge of the office of Assistant Administrative Officer, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie in the afternoon of 5th December, 2003.

RAJNI S. SIBAL
Dy. Director (Senior)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DIRECTORATE GENERAL, CRPF)

New Delhi-110003, the 4th December 2003

No. O.H.3252/95 Pers-I.—Consequent on acceptance of his notice dated 01.07.2003 for seeking resignation from Government service, Shri A. R. Lakra, Dy. Commandant (IRLA No. 3558) of 139 Bn, CRPF has been relieved from his post on 31.10.2003 (AN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force with effect from 31.10.2003 (AN).

J. N. SHARMA
Addl. DIGP (Pers-I)

The 8th December 2003

No. O.II.610/69.Pers.I.—Govt. of India regrets to notify the death of Shri H. S. Negi, Addl. DIGP, (IRLA : 623) of O/o Inspector General of Police, North Eastern Sector, CRPF, Shillong, Meghalaya, who died on 18.11.2003 at 0830 hrs at AIIMS, New Delhi due to prolonged illness. He is accordingly struck off the strength of this organization from 19.11.2003 (FN).

J. N. SHARMA
Addl. DIGP (Pers.I)

No. O.II-791/70-CRC (MOs).—On his superannuation from service Dr. S. R. Das, CMO (NFSG) (IRLA:760) of Base Hospital-III, CRPF, Guwahaty made over charge of his post from the afternoon of 31.10.2003. Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force from 31.10.2003 (AN).

J. N. SHARMA
Addl. DIGP (Pers.I)

No. O.II-895/73-CRC (MOs).—On his superannuation from service Dr. S. K. Sahoo, CMO (NFSG) (IRLA:1173) of Group Centre, CRPF, Bhubneshwar made over charge of his post from the afternoon of 31.10.2003. Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force from 31.10.2003 (AN).

J. N. SHARMA
Addl. DIGP (Pers.I)

The 12th December 2003

No. O.II.2962/PF DC-Pers.I.—Consequent on acceptance of his notice dated 29.07.2003 for seeking voluntary retirement from Government service, Shri Gulab Singh Yadav, Dy. Commandant (IRLA No. 2962) of GC-11, CRPF Ajmer (Rajasthan) has been relieved from his post on 1.12.2003 (FN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force with effect from 01.12.2003 (FN).

J. N. SHARMA
Addl. DIGP (Pers.I)

The 13th December 2003

No. O.II-3638/03-CRC (MOs).— The President is pleased to appoint Dr. Ashok Kumar Sharma as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from the forenoon of 19.11.2003 till further order. He is posted to Group Centre, CRPF, Neemuch.

J. N. SHARMA
Addl. DIGP (Pers.I)

No. O.II-3639/03-CRC (MOs).—The President is pleased to appoint Dr. Heera Raja as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from the forenoon of 24.11.2003 till further order. He is posted to 47 Bn CRPF.

J. N. SHARMA
Addl. DIGP (Pers.I)

(DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE)

New Delhi-03, the 12th December 2003

No. E-16015(2)/2/2/2003/Pers.I/40—The President is pleased to appoint Shri S.R. Dahiya, Deputy Commandant to the rank of Commandant in CISF on promotion on regular basis in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/-. He is posted at CISF Unit, DHEP Dulhasti (J & K), where he assumed the charge of Commandant in the forenoon of 29.11.2003.

S. PANWAR, IPS
Director General/CISF

The 17th December 2003

No. E-31013(8)/5/2002/Pers.II/707—The President is pleased to appoint Shri H.P.S. Rathore, Assistant Commandant (Exe) on promotion notionally to the rank of Deputy Commandant in CISF on regular basis with effect from the forenoon of 28th November, 2002 in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/-. He is already drawing pay in the scale of Deputy Commandant with effect from 04th April, 2001 consequent upon grant of Senior Time Scale.

02. He assumed charge of the post of Deputy Commandant at CISF Unit, HPCL-BP Visakhapatnam with effect from 28th November, 2003 (Forenoon).

S. PANWAR, IPS
Director General/CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), WEST BENGAL

Kolkata-700 001, the 16th December 2003

No. WM-I/Estt/181—Under the orders of the A.G. (A&E), W.B., the following Divisional Accounts Officer Grade I is hereby promoted as Senior Divisional Accounts Officer in the pay scale of Rs. 750-250-12,000/- in temporary and officiating capacity w.e.f. the date of assumption of charges as Senior Divisional Accounts Officer in the present divisions/ division noted against each till further order(s). They will be on probation for a period of 02 (two) years from the date of promotion.

Such promotion is in the interest of the public service.

Sl.No.	Name
1.	Sri Ardhendu Kumar Chattopadhyay

The above named officer may submit their options under FR 22(I)(a)(i) within one month from the date of taking over charge as Sr. DAO for fixation of pay on promotion.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (A/cs.)

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 12th December 2003

No. A-19018/1387/95-Admn(G).—On attaining the age of superannuation, Shri R. Purushothaman, Assistant Director (Grade I) (Mechanical), Small Industries Service Institute, Chennai under Small Industry Development Organisation retired from Government service on the afternoon of 30.11.2003.

S. V. N. PILLAI
Dy. Dir. (Admn.)

SURVEY OF INDIA
(SURVEYOR GENERAL'S OFFICE)

Dehra Dun-248001, the 15th December 2003

No. C-334/724-SOS(A)(1)—The undermentioned Group 'C' Stores Assistant is hereby promoted as Assistant Stores Officer (G.C.S. Group 'B' Post) in Survey of India in the pay scale of Rs. 5,500-175-9,000/- on regular basis with effect from the date as shown against his name :—

Sl.No.	Name	Date of Promotion
1.	Shri K. Abraham	18.11.2003

DR. P. NAG
Surveyor General of India

No. 342/594—The undermentioned Senior Reprographer is hereby promoted as Assistant Manager (Map Reproduction) (GCS Group B Post Gazetted) in Survey of India in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- on regular basis w.e.f. the date as shown against his name :—

Sl.No.	Name	Date of Promotion
1.	Shri K. Narasimha (ST)	03.11.2003

DR. P. NAG
Surveyor General of India

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
(BOARD OF RADIATION & ISOTOPE TECHNOLOGY)

Mumbai-400 705, the 13th December 2003

Ref. BRIT/9/26/657—The President is pleased to appoint Shri Rajesh Kumar as Scientific Officer/C in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy in a temporary capacity w.e.f. the forenoon of September 01, 2003 until further orders.

O. BHARATHAN
Administrative Officer-III

CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore-452013, the 16th December 2003

No. CAT/Admn/R-807(2)/1363—Director, Centre for Advanced Technology, Indore has appointed Shri Parivesh Jinwal, Steno Gr.-II to officiate as Assistant Personnel Officer in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 22.09.2003 to 24.10.2003 (AN) against leave vacancy.

J. M. PAREEK
Chief Administrative Officer

DEPARTMENT OF SPACE
(VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE)

Thiruvananthapuram-695 022, the 24th November 2003

No. VSSC/EST/F/1(17)—Controller, Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC) hereby appoints on promotion the following Personal Assistants-A as Personal Assistants-C in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in Vikram Sarabhai Space Centre with effect from the dates shown against their names, until further orders :—

Sl.No.	Name	Division	With effect from
	Shri/Smt		
01.	VA Ambika	IISU	01.05.2003
02.	SP Sukumaran	PSCD	18.08.2003
03.	K Sreekumaran	PFC	18.08.2003
04.	D Ushakumari	DIR	18.08.2003
05.	B Lekshmi	PCM	18.08.2003
06.	P Vasudevan Namboodiri	DIR	18.08.2003
07.	MT Sarada	ACC	18.08.2003
08.	PR Krishnamoorthy	IISU	18.08.2003
09.	K Thulaseedharan	ICF	18.08.2003
10.	CK Santhamma	RPFF	18.08.2003
11.	Annamma Varghese	ACC	18.08.2003
12.	N Kochukuttan Unnithan	CON	18.08.2003
13.	A Meenakshi	PPEG	18.08.2003
14.	Susiamma Johnson	QDC	18.08.2003
15.	P Krishnan Unnithan	DIR	18.08.2003
16.	Chechamma George	PRACC	19.08.2003
17.	KC Vasanthakokilam	ESG	18.08.2003
18.	Sushil Kumar Bage	GSLV MK-III	18.08.2003
19.	S Jayakumar	SPL	18.08.2003
20.	K Thankamany	MVIT	18.08.2003
21.	J Velayudhan	EFA	18.08.2003
22.	EK Gopalakrishnan	CDD	18.08.2003
23.	N Vasantha	PRG	25.08.2003
24.	KV Joseph	APEP	18.08.2003
25.	S Santha	APMD	18.08.2003
26.	KA Viswanathan Nair	CMS	18.08.2003
27.	TC Abraham	DLS	18.08.2003
28.	TR Kesavan	PSD	18.08.2003
29.	CG Sudhakara Rao	SQAD	18.08.2003
30.	Jyothi Rajeev	GSLV	18.08.2003
31.	C Chandrika	SMAF	18.08.2003
32.	S Rema Devi	EST	18.08.2003

N. GOPINATHAN
Sr. Administrative Officer

MINISTRY OF FINANCE & COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sanchita Shares Services Private Limited.

Kanpur-208001, the 16th December 2003

No. 560(3)/LC/25605/9653—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sanchita Shares Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Agarwal Auto Electricals India Private Limited.

Kanpur-208001, the 16th December 2003

No. 560(3)/LC/25624/9655—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Agarwal Auto Electricals India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Polystiff Importers and Exporters Pvt. Limited.

Kanpur-208001, the 16th December 2003

No. 560(3)/LC/5086/9657—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Polystiff Importers and Exporters Pvt. Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be Dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

"In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Lakshman Trading & Investment Limited.

Kanpur-208001, the 16th December 2003

No. 560(3)/LC/6260/9659—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s Lakshman Trading & Investment Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be Dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act. 1956 and of
M/s. Trend Farbrics Private Limited.

Kanpur-208001, the 16 December 2003

No. 560(3)/LC/10145/9661—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act. 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s Trend Fabrics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be Dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act. 1956 and of
M/s. Janmanjay Finance Company Private Limited.

Kanpur-208001, the 16th December 2003

No. 560(3)/LC/6285/9663—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act. 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s Janmanjay Finance Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be Dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act. 1956 and of
M/s. KPJ Compu-ED Private Limited.

Kanpur-208001, the 16th December 2003

No. 560(3)/LC/20459/9665—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act. 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s KPJ Compu-ED Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be Dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act. 1956 and of
M/s. Kishor Udyog Private Limited.

Kanpur-208001, the 16th December 2003

No. 560(3)/LC/4203/9667—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act. 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s Kishor Udyog Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be Dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act. 1956 and of M/s. ABU Plaza Care Takers Private Limited.

Kanpur-208001, the 16th December 2003

No. 560(3)/LC/25469/9669—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act. 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s ABU Plaza Care Takers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be Dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act. 1956 and of M/s. Shri Janki Agro Traders Private Limited.

Kanpur-208001, the 16th December 2003

No. 560(3)/LC/9136/9672—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act. 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s Shri Janki Agro Traders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be Dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act. 1956 and of M/s. ARVO Machine Private Limited.

Kanpur-208001, the 16th December 2003

No. 560(3)/LC/13362/9673—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act. 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s ARVO Machine Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be Dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act. 1956 and of M/s. Lajwanti Industrial Investment Private Limited.

Kanpur-208001, the 16th December 2003

No. 560(3)/LC/5558/9675—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act. 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s Lajwanti Industrial Investment Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be Dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act. 1956 and of M/s. Kanpur Motor Company Limited.

Kanpur-208001, the 16th December 2003

No. 560(3)/LC/1553/9677—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act. 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s Kanpur Motor Company Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be Dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act. 1956 and of M/s. Brij Mohan Consultancy Services Private Limited.

Kanpur-208001, the 16th December 2003

No. 560(3)/LC/22336/9679—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act. 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s Brij Mohan Consultancy Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be Dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act. 1956 and of M/s. LML Authorised Representatives Association Ltd.

Kanpur-208001, the 16th December 2003

No. 560(3)/LC/14581/9681—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act. 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s LML Authorised Representatives Association Ltd unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be Dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

प्रबन्धक भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2004
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2004